



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12112021-231046
CG-DL-E-12112021-231046

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4329]
No. 4329]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 11, 2021/कार्तिक 20, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 11, 2021/KARTIKA 20, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2021

का.आ. 4694(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 कि उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 706 (अ) तारीख 29.01.2019 तथा का. आ. 2412 (अ) तारीख 13.05.2021 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 06.02.2019 तथा 18.06.2021 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा त्रिपुरा राज्य में पानीसागर – अगरतला प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के मधायम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 6 कि उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निर्देश देती है कि पाइपलाइने बिछाने के लिए भूमि में उपयोग के अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाय, पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाली मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विलंगमों से मुक्त, मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

जिला : ढलाई

राज्य : त्रिपुरा

सर्कल	मौज़ा	गाँव	दाग नं	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मनु	करमछरा	पश्चिममछली_16	578	00	01	59
			574	00	02	61
			575	00	00	20
			573	00	05	12
			558	00	02	24
			568	00	00	66
			569	00	01	51
			571	00	01	07
			572	00	00	20
			564	00	24	43
			570	00	00	45
			563	00	00	56
			597	00	10	49
			593	00	00	81
			596	00	03	84
			2138	00	14	74
			2243	00	06	88
			533	00	00	21
			532	00	06	13
			530	00	05	08
			531	00	00	20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			527	00	07	51
			529	00	00	20
			528	00	04	87
			625	00	01	20
			452	00	01	64
			520	00	00	20
			522	00	01	27
			453	00	05	56
			521	00	00	86
			454	00	06	48
			455	00	02	83
			456	00	02	80
			2493	00	01	73
			457	00	01	35
			458	00	04	01
			459	00	03	81
			460	00	04	44
			461	00	05	82
			462	00	05	82
			2248	00	02	80
			2239	00	01	63
			463	00	01	84
			2240	00	00	86
			2249	00	11	01
			473	00	00	20
			474	00	01	09
			475	00	01	47
			476	00	01	98
			477	00	02	55
			478	00	02	07
			479	00	01	67
			480	00	01	92
			481	00	02	91
			482	00	05	14
			483	00	07	54
			484	00	07	68

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1181	00	12	14
			1207	00	00	87
			1182	00	05	80
			1183	00	03	60
			1184	00	02	86
			1185	00	04	21
			1204	00	00	20
			1186	00	03	87
			1187	00	05	03
			1188	00	00	34
			1190	00	03	71
			1189	00	09	34
			1179	00	00	84
			1178	00	02	08
			1166	00	10	56
			1158	00	02	27
			1157	00	11	41
			1156	00	01	15
			1155	00	04	43
			1553	00	00	86
			1152	00	01	09
			1151	00	00	96
			2144	00	06	19
			1150	00	00	20
			1149	00	02	07
			1147	00	05	09
			1144	00	00	63
			1145	00	08	31
			1138	00	04	56
			1137	00	00	89
			1130	00	00	20
			1136	00	03	10
			1135	00	10	08
			1134	00	01	01
			1133	00	19	27
			1551	00	09	51

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मनु	मनु	दक्षिणधूमछरा - 04	2236	00	04	58
			1056	00	13	26
			1057	00	16	80
			1052	00	01	26
			1058	00	02	67
			2186	00	05	45
			1051	00	15	75
			1050	00	08	91
			1049	00	00	20
			1097	00	01	21
			1123	00	08	30
			1122	00	08	50
			1130	00	03	65
			1131	00	18	48
			1151	00	00	20
			1153	00	00	55
			1152	00	08	67
			1168	00	04	16
			1171	00	00	20
			1170	00	05	55
			1173	00	06	16
			1174	00	13	41
			1206	00	07	30
			1198	00	01	04
			1196	00	05	44
			1194	00	10	16
			1195	00	04	62
			1391	00	01	00
			1390	00	27	66
			1389	00	05	13
			1388	00	00	97
			1376	00	19	60
			1375	00	00	89
			1374	00	13	13
			2166	00	19	89
			1366	00	00	20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1371	00	00	82
			1368	00	05	94
			1367	00	20	96
			1349	00	09	98
			1332	00	01	13
			1348	00	15	43
			1346	00	02	00
			1321	00	07	14
			1320	00	12	29
			1322	00	00	39
			1326	00	00	20
			1319	00	29	53

[फा. सं. एल-14014/150/2021-जीपी-II (ई-40247)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2021

S.O. 4694(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No. 706(E) dated 29.01.2019 and S.O.No. 2412(E) dated 13.05.2021, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated 06.02.2019 and 18.06.2021, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Natural Gas through Panisagar - Agartala Gas Pipeline in the state of Tripura by Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public.

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed by the Competent Authority.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted its report to the Government of India.

And whereas the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL), free from all encumbrances.

SCHEDULE

District: Dhalai

State : Tripura

Circle	Mouza	Name of Village	Dag No.	Area		
				Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Manu	Karamchhara	Paschim Machhli - 016	578	00	01	59
			574	00	02	61
			575	00	00	20
			573	00	05	12
			558	00	02	24
			568	00	00	66
			569	00	01	51
			571	00	01	07
			572	00	00	20
			564	00	24	43
			570	00	00	45
			563	00	00	56
			597	00	10	49
			593	00	00	81
			596	00	03	84
			2138	00	14	74
			2243	00	06	88
			533	00	00	21
			532	00	06	13
			530	00	05	08
			531	00	00	20
			527	00	07	51
			529	00	00	20
			528	00	04	87
			625	00	01	20
			452	00	01	64
			520	00	00	20
			522	00	01	27
			453	00	05	56
			521	00	00	86
			454	00	06	48
			455	00	02	83
			456	00	02	80
			2493	00	01	73
			457	00	01	35
			458	00	04	01
			459	00	03	81
			460	00	04	44
			461	00	05	82
			462	00	05	82
			2248	00	02	80
			2239	00	01	63
			463	00	01	84
			2240	00	00	86
			2249	00	11	01
			473	00	00	20
			474	00	01	09
			475	00	01	47
			476	00	01	98
			477	00	02	55
			478	00	02	07
			479	00	01	67
			480	00	01	92
			481	00	02	91
			482	00	05	14
			483	00	07	54

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			484	00	07	68
			1181	00	12	14
			1207	00	00	87
			1182	00	05	80
			1183	00	03	60
			1184	00	02	86
			1185	00	04	21
			1204	00	00	20
			1186	00	03	87
			1187	00	05	03
			1188	00	00	34
			1190	00	03	71
			1189	00	09	34
			1179	00	00	84
			1178	00	02	08
			1166	00	10	56
			1158	00	02	27
			1157	00	11	41
			1156	00	01	15
			1155	00	04	43
			1553	00	00	86
			1152	00	01	09
			1151	00	00	96
			2144	00	06	19
			1150	00	00	20
			1149	00	02	07
			1147	00	05	09
			1144	00	00	63
			1145	00	08	31
			1138	00	04	56
			1137	00	00	89
			1130	00	00	20
			1136	00	03	10
			1135	00	10	08
			1134	00	01	01
			1133	00	19	27
			1551	00	09	51
Manu	Manu	Dakshindhumachhara - 04	2236	00	04	58
			1056	00	13	26
			1057	00	16	80
			1052	00	01	26
			1058	00	02	67
			2186	00	05	45
			1051	00	15	75
			1050	00	08	91
			1049	00	00	20
			1097	00	01	21
			1123	00	08	30
			1122	00	08	50
			1130	00	03	65
			1131	00	18	48
			1151	00	00	20
			1153	00	00	55
			1152	00	08	67
			1168	00	04	16
			1171	00	00	20
			1170	00	05	55
			1173	00	06	16
			1174	00	13	41
			1206	00	07	30
			1198	00	01	04

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1196	00	05	44
			1194	00	10	16
			1195	00	04	62
			1391	00	01	00
			1390	00	27	66
			1389	00	05	13
			1388	00	00	97
			1376	00	19	60
			1375	00	00	89
			1374	00	13	13
			2166	00	19	89
			1366	00	00	20
			1371	00	00	82
			1368	00	05	94
			1367	00	20	96
			1349	00	09	98
			1332	00	01	13
			1348	00	15	43
			1346	00	02	00
			1321	00	07	14
			1320	00	12	29
			1322	00	00	39
			1326	00	00	20
			1319	00	29	53

[F. No. L-14014/150/2021-GP - II (E-40247)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.